मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पिठासीन अधिकारीः– जीतू कुलहरी, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः–13/2018
निर्णय दिनांकः– 18-1-21

बनारसी आदि बनाम मेधसिंह आदि

दावा बाबत– धोषणात्मक, नाम दुरूस्ती खाता विभाजन

वादीगण की ओर से **श्री प्रदीप सैन एडवोकेट की उपस्थिति में** व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 9 की ओर से श्री मनु यादव एडवोकेट एवं प्रतिवादी सं. 17 की ओर से श्री राजेन्द्र यादव एडवोकेट की उपस्थिति में तथा शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 18-1-21 को **जीतू कुलहरी उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादीगण व प्रतिवादी सं. 17 का प्रतिदावा बाबत खाता व लगान विभाजन किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम बामणवास त० बुहाना स्थित भूमि हाल ख० न० 318 रकबा 2.46 है० ख० न० 334 रकबा 3.61 है० किता 2 कुल रकबा 6.07 है० भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव "प्रदर्श अ" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो संबन्धित खातेदार/काश्तकार को मिलने वाले हिस्से/रकबे के विरूद्ध दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2021.06.14 16:19:57 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 18-1-21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(जीतू कुलहरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर बुहाना

Scanned by CamScanner